

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1976 / 2023

जगदीश प्रसाद

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक

: 11.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से

: श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थागण की ओर से

: श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में रिक्त पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 02.06.2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी सीधे प्रकार से चुनाव कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः उक्त दिशा निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा कार्य ग्रहण किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थागण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 31.07.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधानसभा चुनाव, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर के रिक्त पद पर किया गया है। उनका आगे तर्क है कि मण्डल में उपलब्ध सेवाभिलेख के अनुसार अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर है एवं ये गृह जिले में ही पदस्थापित है। साथ ही उक्त आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनसीटी / एमसीसी / 2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक 28.07.2023 के

निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज-1/2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दुओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षों में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में पैरा 5 पर अंकित किया गया है कि :-

**5 Applicability:-**

**5.1 District Officers:-**

These Instructions shall cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy DEOS, RO/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works.

उक्त दिशा निर्देशों की पालना में राजस्व मण्डल का स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण तहसीलदार खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पद पर किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजस्थान राजस्व मण्डल को पत्र दिनांक 26.05.2023 प्रेषित कर चुनाव की दृष्टि से रिक्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन करने की अनुशंसा की थी, ताकि विधानसभा चुनाव 2023 कराने में सुविधा हो। उक्त पत्र दिनांक 26.05.2023 के साथ रिक्त पदों की सूची प्रेषित की गई थी, जिसमें तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर को रिक्त पद बताया गया था। वर्तमान स्थानांतरण विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश पर किया गया है, जो प्रशासनिक एवं राज्यहित में किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।
4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)